UPET010063832022

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, एटा।

उपस्थित– श्री कैलाश कुमार, एच.जे.एस.

J-O-CODE -U.P.1684

द्वितीय जमानत आवेदन पत्र संख्या 3294 वर्ष 2022

बृजेश उर्फ दुष्यन्त, उम्र 26 साल पुत्र अभिलाख सिंह, निवासी खरसेला, थाना जसरथपुर, जिला एटा.

.....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0राज्य

धारा– 323,307,504,506 भा0दं0सं0
अ0स0 111/2017
थाना– जसरथपुर,जनपद एटा।
एस0टी0 155/2019.

18.10.2022

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त बृजेश उर्फ दुष्यन्त की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र धारा –323,307,504,506 भा0दं0सं0, अ.स. 111/2017, थाना जसरथपुर, जनपद एटा एस0टी0 संख्या 155 वर्ष 2019 में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन में यह आधार अंकित किये गये हैं कि प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/आरोपी पूर्व से जमानत पर है तथा वारण्टों के आधार पर दिनांक 07.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आरोपी का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र हैं। प्रार्थी/आरोपी द्वारा अधिवक्ता हाजिरी मॉफी प्रार्थनापत्र लगवाये जाने के बाद पूर्व अधिवक्ता द्वारा कई बार जानकारी करने की कोशिश की परन्तु तारीख की सही जानकारी नहीं मिल सकी इस कारण नियत तिथियों पर न्यायालय हाजिर नहीं आ सका। प्रार्थी/आरोपी दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। इस बीच कोरोना काल में न्यायालय लम्बे समय के लिए बंद हो गये। अनिश्चित समय न्यायालय बंद हा जाने के कारण प्रार्थी/आरोपी नियत तिथियों पर हाजिर अदालत नहीं हो सका जिस कारण वारण्ट जारी हो गये। पुनः जमानत देने को तैयार है किसी भी अवस्था में जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा एवं भविष्य में प्रत्येक तिथि पर न्यायालय उपस्थित आता रहेगा। तदनुसार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया तथा कहा कि

प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण का विचारण प्रभावित हुआ है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त इस प्रकरण में पूर्व में जमानत पर था, नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित न आने के कारण, न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र व नोटिस जामिनान की आदेशिकायें निर्गत की गयी। अभियुक्त की ओर से दिनांक 07.10.2022 को वारण्ट निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार एटा भेजा गया। अभियुक्त उक्त प्रकरण में दिनांक 07.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह मजदूरी करने बाहर चला गया था इस कारण न्यायालय हाजिर नहीं आ सका किसी भी अवस्था में जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा एवं भविष्य में प्रत्येक तिथि पर न्यायालय उपस्थित आता रहेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर बिना टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **बृजेश उर्फ दुष्यन्त** का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा 1,00,000–00 (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समराशि के दो नये प्रतिभू दाखिल करने पर एवं इस आशय का बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय उपस्थित होता रहेगा, उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

(**कैलाश कुमार**)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं0 2,
एटा।